



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062020-220147
CG-DL-E-25062020-220147

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1803]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2020/ आषाढ़ 3, 1942

No. 1803]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2020/ ASHADHA 3, 1942

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2020

का.आ. 2029(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के सूरत जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा ;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, खास जमीन संपादन अधिकारी, शाखा सं. 4, सूरत, 5 वां माला, ए ब्लॉक, बहुमाली भवन, सूरत, गुजरात को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के सूरत जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या / ब्लॉक संख्या	हैक्टर में क्षेत्रफल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	मांगरोल	कोसंबा	संपत्ती कार्ड संख्या 702	0.3000
(2)	ओलपाड	(1) उमरा	ब्लॉक संख्या 296/ए	0.4500
		(2) कुडसद	ब्लॉक संख्या 819 (प्लॉट संख्या ए-1)	0.0200
			ब्लॉक संख्या 819 (प्लॉट संख्या ए-2)	0.0100
			ब्लॉक संख्या 819 (प्लॉट संख्या ए-3)	0.0100
			ब्लॉक संख्या 501	0.0200
(3)	कामरेज	भादा	ब्लॉक संख्या 180	0.4000
			ब्लॉक संख्या 181	0.2000

[फा. सं. 2020/एलएमएल-II/12/1/डब्ल्यू सी/2023]

(ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं))

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2020

S.O. 2029(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), (herein after referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Projects namely, Western Dedicated Freight Corridor, in the district of Surat in the State of Gujarat hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Special Land Acquisition Officer, Branch No.4, Surat, 5th Floor, “A” Block, Bhaumali Bhavan, Surat, Gujarat, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the proposed Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Surat in the State of Gujarat.

Serial Number	Name of the Taluka	Name of the Village	Survey Number/ Block Number	Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	Mangrol	Kosamba	Property Card No.702	0.3000
(2)	Olpad	(1) Umra	296/A	0.4500
		(2) Kudsad	Block No. 819 (Plot No. A-1)	0.0200
			Block No. 819 (Plot No A-2)	0.0100
			Block No. 819 (Plot No. A-3)	0.0100
			Block No. 501	0.0200
(3)	Kamrej	Bhada	180	0.4000
			181	0.2000

[F.No. 2020/LML-II/12/1/WC/2023]

A. K. SINHA, Executive Director (Land and Amenities)